

**कार्यालय**  
**सचिव, प्रविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

संलग्नक- दिनांक: 12-09-2023

**:-कार्यालय स्थाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी कलेजियल बोर्ड इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संभावित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के तत्पश्चात् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक सफल हुई। बैठक में एच 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कलेजियल बोर्ड इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रपत्र अनुमोदन विचार एवं सम्बद्धता समिती द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिती की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1241-SKYLINE INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एग्जामिनेशन/सीटों/सत्र/ फीस/सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्थानिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 31 (116-3066/9/2022) सी०सी०-1 दिनांक 19 मई 2022 द्वारा पूर्व से संशोधित समाप्त संसधान की जाँच के विस्तृत समन्वित न्यायपालना में संश्लिष्ट रिट वास्तविक संख्या 0027/2023 में सन्श्लेषित न्यायपालना के अधीन निम्नलिखित के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कलेजियल बोर्ड इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कलेजियल बोर्ड इंडिया, नई दिल्ली के समस्त को अनुमोदन संरक्षण में समाप्त संरक्षण (एग्जि. भ्रम, सेवा उपकरण) अति उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, संश्लेषित विनियमवली-2018 तथा अनुप-क्रम पर निर्मित काल-संश्लेषित को अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/सत्र के प्रपत्र किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त काल-संश्लेषित को शुल्क के सम्बन्ध में समाप्त-समय पर समाप्त द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले काल-संश्लेषित प्रकृती होगी, जैसा अनुमोदन कार्यावली किये जायेंगे। अतिरिक्त निर्धारण समिती द्वारा पत्र सं० 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किये गया है, जो पत्र सं०-संश्लेषित पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय की ही प्रवेश दिया जायेंगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट काल-संश्लेषित के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क तथा काल-संश्लेषित।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विनियमवली/अखिल भारतीय/अखिल भारतीय/अखिल भारतीय एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कल्पित गये विनियम, विनियम, अतिरिक्त, निर्देशों का पालन

करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद/प्रादेशिकी कार्यालय और इंजिनियरिंग, नर्सिंग, डिप्लोमा के अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में समस्त उपरोक्तित संस्था का द्वारा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षण परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षण निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षण विभाग द्वारा प्रवेश कागज के विवरण यदि कोई ग्राहक द्वारा किया जाता है तथा द्वारा काद के संस्था में या, आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करने होगी।
- ✓ संस्था में को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तरा प्रदेश तकनीक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए अनुमोदन प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रवेश होने के पूर्व अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद/प्रादेशिकी कार्यालय और इंजिनियरिंग, नर्सिंग, डिप्लोमा के अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाया होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तरा प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समस्त पर निर्णय नवीकरण आवश्यक विषयों का अनुमोदन करवाया जायसकटी होगा।
- ✓ संस्था को अपने केवलगत तथा प्राथमिक शिक्षण के सुव्यवस्था परिसर पर संस्था की समस्त सुचारु के संस्था की दृष्टिकोण पूर्ण भूमि, वाहन, काल-सम्पत्, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला सुक, उपकरण सुक अदि का निराल उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त कार्यालय उपलब्ध करवाने के साथ प्रवेश संस्थान के समस्त आवश्यक कार्यालय सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो वे कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित परीक्षाओं को नगदो जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करवाये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षाओं के संयोजन में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को इसकी कार्यवाही होती है कि संस्था उपलब्ध का करवाये किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपलब्ध संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तरा प्रदेश प्राथमिक शिक्षण (समिति) और उपसमिति, संस्था में का सम्बद्ध निम्न जगत नियमसूची, 2000 के प्राथमिक/सुचारु परीक्षा की संघ पर करने कार्यवाही, भवनों और कर्मचार को परीक्षा को परीक्षा के संयोजन के लिए परीक्षा के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अतिरिक्त राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायः उपकरण एवं अन्य सम्पत्तियों का उपलब्धता/उपयोगिता/उपयोगिता के मानक/सुचारु उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त का दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने अलावा शर्तों का उपलब्ध किये जाने की शर्तों में नियमसूचारु अनुमोदन/अलावा कार्यवाही की जायेगी।

(अंशु कुमार मिश्र)

सचिव

पूरा- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता(2023/12090902-12091230)

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठित:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SKYLINE INSTITUTE OF PHARMACY

(अंशु कुमार मिश्र)

सचिव



